



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
 (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
 59 "सी" विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक / ४१६५ / MGNREG-MP / वित्त एवं लेखा / 2012 भोपाल, दिनांक २६/०४/१२
 प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—म.प्र
 जिला पंचायत—समस्त

विषयः—मोबाईल बैंक के माध्यम से अकुशल श्रम भुगतान की जानकारी विषयक।

संदर्भः—कार्यालयीन पत्र क्रमांक ७५८/एनआर-४/४/११ भोपाल, दिनांक 23.01.12

—००—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र से मोबाईल बैंकिंग से किये गये अकुशल भुगतान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में चाही गई है, एवं लेख किया गया है प्रतिमाह की जानकारी आगामी माह की 10 तारीख तक भेजें। किंतु माह मार्च 12 कि विषयांकित जानकारी अप्राप्त है कृपया जानकारी निर्धारित प्रपत्र में शीघ्र भेजना सुनिश्चित करें।
 संलग्न—निर्धारित प्रपत्र।

(आयुक्त का छाप छारोशित)

(डॉ राजीव सक्सेना)
 संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)
 म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

त्रिवेदी अद्य १२ ग्रं. १२-१३ ग्रं.

ପାତ୍ର ଏବଂ ଲୋକ ।

जिनों 'डायरेक्ट' मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से अकुशल थ्रम भुगतान की जानकारी